न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या— 47 / 2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. लीलाराम मीणा पुत्र कालू मीणा उम्र 44 वर्ष पेशा कृषि निवासी जावराखुर्द प०ह० तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. दुर्गालाल मीणा पुत्र कालू मीणा उम्र 47 वर्ष पेशा कृषि निवासी जावराखुर्द प०ह० बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. बाबूलाल मीणा पुत्र कालू मीणा उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि निवासी जावराखुर्द प०ह० बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. जगदीश मीणा पुत्र चतुर्भुज मीणा उम्र 38 वर्ष पेशा कृषि निवासी जावराखुर्द प०ह० बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

................प्रार्थीगण

विरूद्व

1. चतुर्भुज भील पुत्र भुवाना भील आयु 58 वर्ष निवासी जावराखुर्द प०ह० बाडोलिया तहसील रावतमाटा जिला चितौडगढ़।
2. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

............विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :— **श्री बाबूराम देराश्री।**

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से :— **श्री पराग त्रिपाठी।**

दिनांकः— 18.04.2022

—ःआदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा जावराखुर्द प०ह० बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खंसरा सं. 173मी. रकबा 0.3600है0, खसरा संख्या 173 / 585 रकबा 0.3600 है0, खसरा संख्या 173 / 587 रकबा 0.530 है0 प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि खंसरा सं. 173मी., 173 / 585, 173 / 587 के पडौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के सहखातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 01 दिनांक 14.03.2022 को जवाब प्रस्तुत कर पत्थरगढी कराने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं ग्राम मौजा जावराखुर्द प०ह० बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खंसरा सं. 173मी. रकबा 0.3600है0, खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

173/585 रकबा 0.3600 है0, खसरा संख्या 173/587 रकबा 0.530 है0 प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/–रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner